

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. मृतक नारायणलाल पिता कि नलाल जी पालीवाल के बजाय :-
 - 1/1. घन याम पिता स्वर्गीय नारायण जी पालीवाल, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2. मृतक कमल कि गोर पिता स्वर्गीय नारायण जी पालीवाल के बजाय :-
 - 1/2/1. श्रीमती जमना विधवा स्वर्गीय कमल कि गोर जी पालीवाल, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2/2. श्रीमती भावना पुत्री स्व. कमलकि गोर जी पत्नी नरोत्तम जी पालीवाल, निवासी मोहनगढ़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2/3. श्रीमती सरोज पुत्री स्व. कमलकि गोर जी पत्नी चन्द्रप्रकाश जी पालीवाल, निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2/4. सुश्री बंसली पुत्री स्वर्गीय कमल कि गोर जी पालीवाल, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2/5. गोविन्द पुत्र स्वर्गीय कमल कि गोर जी पालीवाल, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
 - 1/2/6. सुश्री लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय कमल कि गोर जी पालीवाल, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती लाली बाई पत्नी कि नलाल जी पालीवाल (मृतक) के बजाय :-
 - 2/1. श्रीमती कावेरी पुत्री कि नलाल जी पालीवाल, निवासी उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. फतेहलाल पिता नाथूलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती राधी बाई पत्नी स्वर्गीय गणेशलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मृतक भंवरलाल जी पालीवाल के बजाय :-
 - 3/1. श्रीमती संतोशी पत्नी कैलाश जी जोशी, निवासी गांव दडवल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)



- 3/2. श्रीमती अम्बा देवी पत्नी कैला ा जी जो ि, निवासी गांव दडवल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 3/3. श्रीमती मीना पत्नी तुलसीराम जी, निवासी गांव बांसड़ा दडवल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 3/4. श्रीमती सु िला पत्नी भंवरलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 3/5. भैरूलाल पिता भंवरलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 3/6. तारा ांकर पिता भंवरलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. हरिकान्त पिता गणे ालाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. सोहनलाल पिता गणे ालाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मोहनलाल पिता गणे ालाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. तुलसीराम पिता गणे ालाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती तारा पुत्री गणे ालाल जी पालीवाल पत्नी पृथ्वीराज जी पालीवाल, निवासी वाटी
9. श्रीमती रूपा पुत्री गणे ालाल जी पालीवाल पत्नी सालगराम जी पालीवाल, निवासी बड़ा भाणुजा
10. श्रीमती धापू पुत्री गणे ालाल जी पालीवाल पत्नी मगनलाल जी दवे, निवासी वाटी
11. श्रीमती भयामा पुत्री गणे ालाल जी पालीवाल पत्नी बाबुलाल जी जो ि, निवासी दडवल
12. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी रमे ाचन्द्र जी पालीवाल (मृतक) वारिसान रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 13 व 14 पूर्व से रेकार्ड पर
13. बसन्त कुमार पिता रमे ा चन्द्र जी पालीवाल, निवासी निकुंज 8, ग्लास फैक्ट्री, सुन्दरवास, उदयपुर (मृतक) के बजाय :-
- 13/1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्वर्गीय बसन्त कुमार जी पालीवाल, निवासी निकुंज 8, ग्लास फैक्ट्री, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
- 13/2. राजे ा पिता स्वर्गीय बसन्त कुमार जी पालीवाल, निवासी निकुंज 8, ग्लास फैक्ट्री, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

- 13/3. वैभव पिता स्वर्गीय बसन्त कुमार जी पालीवाल, निवासी निकुंज 8, ग्लास फैक्ट्री, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
14. हेमन्त कुमार पिता रमे । चन्द्र जी पालीवाल, निवासी निकुंज 8, ग्लास फैक्ट्री, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
15. सु गीला देवी पत्नी जगदी चन्द्र पालीवाल, निवासी कुचौली, हाल इन्दौर
16. प्रका चन्द्र पिता जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
17. तुशार पिता जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
18. विनोद पिता जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
19. बबु (दिने 1) पिता जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
20. श्रीमती विमला देवी पुत्री जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
21. श्रीमती मधु देवी पुत्री जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
22. मन्जु पुत्री जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
23. रजनीकान्त पिता जगदी चन्द्र जी पालीवाल, निवासी सहकार पुलिया, प्रिन्टिंग प्रेस 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (मृतक) के बजाय :-
- 23/1. श्रीमती भारदा पत्नी स्वर्गीय रजनीकान्त जी पालीवाल, निवासी 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
- 23/2. गिरी । पुत्र स्वर्गीय रजनीकान्त जी पालीवाल, निवासी 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
- 23/3. चन्द्र खेर पुत्र स्वर्गीय रजनीकान्त जी पालीवाल, निवासी 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
- 23/4. हितेश पुत्र स्वर्गीय रजनीकान्त जी पालीवाल, निवासी 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
- 23/5. य वन्त पुत्र स्वर्गीय रजनीकान्त जी पालीवाल, निवासी 74, जुनापीठा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
24. भांकरलाल पिता कि नलाल जी पालीवाल, निवासी बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरुद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 31.08.2007 प्र.सं. 145/2005

----/----

उपस्थित(वक्तबहस) 1- श्री मनीश भार्मा अभिभाषक अपीलान्तगण

-----::-----

निर्णय

दिनांक 13-12-2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्त द्वारा एक वाद बाबत घोशणा एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूलपुरुश नन्दराम जी थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरुश लालू जी थे। ग्राम कुंचोली में हाल आराजी नंबर 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बीड़ जिसके साबिक नंबर 223 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा थे, गत भू-प्रबन्ध से पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज थे एवं उनका आधिपत्य चला आ रहा था एवं उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है। किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के वादीगण के पूर्वाधिकारी कि नलाल पिता भगवानलाल व मोतीलाल पिता नन्दराम का नाम काटकर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारी नाथू वल्द लालू का नाम अंकित कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारी का कथी आधिपत्य नहीं रहा है। अतः निवेदन किया कि वादीगण को विवादित आराजी नंबर 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार घोशित किया जाकर निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 31-08-2007 से वादी का वाद आंि एक रूप से स्वीकार कर वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्तगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोंडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि विवादित आराजी नंबर 339 अपीलान्ट की अन्य आराजियात से मिली हुई है एवं इस भूमि के आस-पास रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 11 की कोई भूमि नहीं है। यानि उक्त आराजी अपीलान्ट के उपयोग-उपभोग में चली आ रही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में यह माना है कि साबिक आराजी नंबर 223 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा नाथू वल्द लालू के नाम दर्ज होना प्रकट है एवं इसी दस्तावेज के कॉलम नंबर 18 में खातेदार के नाम में कि अनलाल वल्द भगवान व मोतीराम वल्द नन्दराम को काटा जाना भी प्रकट है, परन्तु उक्त कटिंग उक्त दस्तावेज लिखते समय ही किया जाना प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही लिखावत एक ही होने से उसे दुरस्त किया जाना संभावित लगता है। उक्त दुरस्ती के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि राजस्व अधिकारियों ने वादीगण के पूर्वाधिकारी का नाम काटकर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारी का नाम अंकित कर दिया हो। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2007 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासएम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

मृतक नारायण के बजाय घन याम पुत्र बनाम फतेहलाल पिता नाथू पालीवाल,
स्व.नारायण पालीवाल, निवासी कुंचोली निवासी बागोल, तह0 नाथद्वारा,
तह.नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....62/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
..... नाथद्वारा मुकाम.....मुवर्खे.....31.....माह.....08.....2007

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13...माह.....12.....सन् 2021 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी...श्री मनीश भार्मा...मिनजानिब अपीलान्त व

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 31-08-2007 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....12.....2021
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।